मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय
वल्लभ भवन– भोपाल

क्रमांक / 08 / PS / 2011 / 20–3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14.01.2011

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश।

विषय :– माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी परीक्षा वर्ष 2010–11 में नियमित परीक्षार्थियों की उपस्थिति के संबंध में।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल विनियम 203 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षाओ मे सम्मिलित होने के लिये नियमित छात्र की न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत होना अनिवार्य है। इस उपस्थिति मे विभिन्न प्राधिकारी द्वारा अधिकतम 10 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रावधान मण्डल विनियम 208 एव 209 मे है। विनियम निम्नानुसार है –

203– किसी भी अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा मण्डल की परीक्षा मे तब तक सम्मिलित नही कराया जाएगा जब तक कि वह संस्था के खुले रहने के दिनों मे से कम से कम 75 प्रतिशत दिन और प्रत्येक विषय में दिए गए व्याख्यानों में से कम से कम 75 प्रतिशत व्याख्यान मे और अनुशिक्षण (ट्यूटोरियल) तथा व्यावहारिक कार्य कक्षाओं में, यदि वे प्रत्येक विषय में लगाई जाए, कम से कम 75 प्रतिशत में उपस्थित न रहा हो।

208– मान्यता प्राप्त संस्था का प्रमुख, उच्च शाला परीक्षा के मामले मे कार्य दिवसो की कुल संख्या के अधिक से अधिक 3 प्रतिशत तक की और उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा के मामले मे प्रत्येक विषय मे दिये गये व्याख्यान (सैद्धान्तिक, व्यावहारिक, अनुशिक्षण कक्षाओं में उपस्थिति की गणना पृथक पृथक की जानी चाहिए) की संख्या के अधिक से अधिक 3 प्रतिशत तक की छूट दे सकेगा। ऐसे सभी मामलों की सूचना जिनमे विशेषाधिकार का उपयोग किया गया हो, सभापति को दी जानी चाहिए।

209– ऐसे मामलों मे जहां यह कमी ऊपर उल्लिखित सीमाओ से अधिक हो, संस्था प्रमुख सचिव को और 4 प्रतिशत तक की छूट की सिफारिश कर सकेगा। जो आपवादिक परिस्थितियो मे यह छूट दे सकेगा।

उक्त विनियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

(रजनीश वैश)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग,

पृ क्रमांक / 09 / PS / 2011 / 20–3
प्रतिलिपि –

भोपाल, दिनांक 14.01.2011

1 आयुक्त, लोक शिक्षण / आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2 समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पचायत, मध्यप्रदेश।
4 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
6 समस्त प्राचार्य, उ.मा.वि / हाईस्कूल, मध्यप्रदेश।

की ओर उपरोक्त निर्देशो का पालन सुनिश्चित करने हेतु।

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग,

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्रमांक / पीए / संचा.(प्रशा.) / 2011 / 07
प्रतिलिपिः–

भोपाल, दिनांक 31.01.2011

1– समस्त संभागीय, संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
2– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
3– समस्त प्राचार्य, उमावि / हाईस्कूल, मध्यप्रदेश

की ओर उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित कर अवगत करायें।

(सभाजीत यादव)
संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.